न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

ाजस्व वाद संख्या– 81/2018

1. मोहनराम पुत्र दानाराम,
2. जिणाराम पुत्र दानाराम,
3. भुगानराम पुत्र जिणाराम,
4. नरसीराम पुत्र जिणाराम, जाति जाट,
   निवासीगण नराधणा तहसील जायल, जिला नागौर

…………….वादीगण

वनाम

1. दानाराम पुत्र रामकरण, जाति जाट,
2. चम्पादेवी पुत्री दानाराम, जाति जाट,
   निवासी नराधणा, तहसील जायल, जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

…………… प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन,
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता–
1. वादीगण की ओर से श्री रामप्रकाश बेन्दा एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 3 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28 .08.2019

वादीगण के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अपनी वंशावली पेश करते हुऐ कथन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा नराधना तहसील जायल में खसरा नं. 40 रकबा 18.13 वीघा, खसरा नं. 97 रकबा 11.18 वीघा, खसरा नं. 677 रकबा 26 वीघा, कुल रकबा 56.11 वीघा आई हुई है। जिसमें सभी का हिस्सा है। लेकिन कर्ता खानदान होने से राजकीय रेकर्ड मे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

आ गया है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। अब पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियो का मौखिक विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 मोहनराम के बंट में मौजा नराधणा का खेत खसरा नं. 677 रकबा 26 बीघा रखा है। वादी संख्या 2 जिणाराम के बंट मे मौजा नराधणा का खेत खसरा नं. 97 रकबा 11.18 बीघा रखा है। वादी संख्या 3 भुगानराम के बंट मे मौजा नराधणा के खेत खसरा नं. 40 रकबा 18.13 बीघा में से 9 बीघा पूर्वी हिस्सा रखा है। तथा वादी संख्या 4 नरसीराम के बंट में मौजा मौजा नराधणा के खेत खसरा नं. 40 रकबा 18.13 बीघा मे से 9 बीघा पश्चिमि हिस्सा रखा है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दानाराम व चंपा देवी के संयुक्त बंट मे मौजा नराधणा के खेत खसरा नं. 40 रकबा 18.13 बीघा मे से 0.13 बीघा भाग उत्तरी पूर्वी कोने मे रखा गया है। दानाराम वृद्ध होने के कारण उसके बंट मे कम भूमि रखी गई है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड में नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावो मे आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 नाथूराम व प्रतिवादी संख्या 2 चंपा देवी की और से श्री जियाराम गोदारा अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जबाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। साक्ष्य वादी मे शपथ पत्र वादी मोहनराम तथा प्रतिवादी दानाराम के पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श 1 तथा नकल खतौनी संवत 2024 से 2027 प्रदर्श 2 पेश की गई। तथा साथ ही ग्राम पंचायत डिडिया कलां का प्रमाण पत्र भी पेश कर वकील वादी ने साक्ष्य बंद की।

बहस वकील वादीगण की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनो को दोहराया तथा वाद के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। मैने वादी द्वारा किये गये अभिकथनो तथा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकरण में विचारणीय विन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमियां पक्षकारों की पुश्तैनी होकर सह खातेदारी की है। तथा क्या वादी इसमें सह खातेदार होकर विभाजन करवाने का हकदार है। तथा क्या पक्षकारों ने घरेलू तौर पर इन खेतों का विभाजन कर लिया है तथा उसी अनुसार डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। नकल खतौनी संवत 2024 से 2027 प्रदर्श 2 से यह साबित है कि भूमि पुश्तैनी है। तथा विभाजन भी साक्ष्य गवाहान से साबित है खासकर जबकि किसी पक्षकार ने वाद का विरोध नही किया है। अत मेरी राय में वादीगण अपने को साबित करने में पर्णतया सफल रहे है। अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा नराधना तहसील जायल मे खसरा नं. 40 रकबा 18.13 बीघा, खसरा नं. 97 रकबा 11.18 बीघा, खसरा नं. 677 रकबा 26 बीघा, कुल रकबा 56.11 बीघा वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

2. कि इसका विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐ वादी वादी संख्या 1 मोहनराम के बंट में मौजा नराधणा का खेत खसरा नं. 677 रकवा 26 बीघा, वादी संख्या 2 जिणाराम के बंट में मौजा नराधणा का खेत खसरा नं. 97 रकवा 11.18 बीघा, वादी संख्या 3 भुगानराम के बंट में मौजा नराधणा के खेत खसरा नं. 40 रकवा 18.13 बीघा में से 9 बीघा पूर्वी हिस्सा तथा वादी संख्या 4 नरसीराम के बंट में मौजा मौजा नराधणा के खेत खसरा नं. 40 रकवा 18.13 बीघा में से 9 बीघा पश्चिमि हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दानाराम व चंपा देवी के संयुक्त बंट में मौजा नराधणा के खेत खसरा नं. 40 रकवा 18.13 बीघा में से 0.13 बीघा भाग उतरी पूर्वी कोने में घोषित किये जाते है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। इसी माफिक डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जिला नागौर
(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।